

I/349190/2023

संख्या- ३०/२०२३/ १०७० / ००३ -०१-६६-२०२३-२४

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में " कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की गयी हैं। विभिन्न नगर निकायों द्वारा भिन्न-भिन्न पत्रों के माध्यम से काजी हाउस/गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना अन्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 27 नगर निकायों में संचालित पशु शेल्टर होम्स/गौशाला में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू. 570.98 लाख (रू. पाँच करोड़ सत्तर लाख अन्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30/- प्रति पशु/प्रति दिन की दर से प्रथम छः माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक) हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू० लाख में)
1	2	3	4
1	झाँसी	नगर निगम, झाँसी	142.74
2	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	91.13
3	अलीगढ़	नगर पंचायत, हरदुआगंज	05.93
4	गोण्डा	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	13.73
5	मुजफ्फरनगर	नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर	04.56
6	मुजफ्फरनगर	नगर पालिका परिषद, खतौली	03.02
7	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, पुरकाजी	08.29
8	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, चरथावल	06.59
9	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, बुढाना	19.76

90/2023

10	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, शाहपुर	04.94
11	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, सिसौली	08.24
12	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, जानसठ	05.11
13	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, मीरापुर	10.98
14	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, भौकरहेड़ी	10.43
15	फर्रुखाबाद	नगर पंचायत, शमसाबाद	19.16
16	फतेहपुर	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर	35.69
17	फतेहपुर	नगर पंचायत, कारीकान धाता	16.47
18	बिजनौर	नगर पंचायत, झालू	06.15
19	मथुरा	नगर पंचायत, कोसीकलां	04.39
20	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, नरौरा	40.08
21	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, डिबाई	39.64
22	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, खानपुर	04.12
23	अमेठी	नगर पंचायत, मुसाफिरखाना	30.20
24	सीतापुर	नगर पंचायत, सिधौली	20.04
25	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत, जहाँगीरपुर	06.86
26	एटा	नगर पालिका परिषद, जलेसर	08.45
27	मैनपुरी	नगर पंचायत, भौगाँव	04.28
<b>योग</b>			<b>570.98</b>

(रू. पाँच करोड़ सत्तर लाख अठानबे हजार मात्र)

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध:-**

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (2) प्रश्रुत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।
- (4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्रुत धनराशि आपहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

90/2023

- (7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय का होगा।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्ता की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,70,98,000 ( रुपये पाँच करोड़ सत्तर लाख अठानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
Signed by कल्याण बनर्जी  
Date: 13-07-2023 19:23:09  
~~कल्याण बनर्जी~~  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- 30 /2023/1070(1) /003-01-KGY-2023-24, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम,, उ0प्र0।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

92/2023

- (7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं संबंधित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय का होगा।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,70,98,000 ( रुपये पाँच करोड़ सत्तर लाख अठानबे हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- ३० /2023/१०७०(१) /003-01-KGY-2023-24, तद दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम,, उ०प्र०।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
Signed by कल्याण बनर्जी  
Date: 13-07-2023 19:23:49

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।